चीन पर नए शुल्क से भारत के स्वर्णाभूषण निर्यात को आस

राजेश भयानी
मुंबई, 4 अगस्त

अमेरिका द्वारा चीन से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर 10 प्रतिशत शुल्क की घोषणा किया जाना देश के मुसीबत में फंसे रत्नाभूषण उद्योग के लिए अच्छी खबर है। 1 सितंबर से शुरू होने वाला यह शुल्क चीन से अमेरिका में आयात किए जाने वाले कच्चे और तराशे हीरे, कृत्रिम रत्नों के साथ-साथ कीमती और अर्धकीमती रत्नों पर लागू होगा।

अगर यह शुल्क स्थगित या वापस नहीं होता तो अमेरिका को किया जाने वाला चीन का स्वर्णाभूषण निर्यात व्यावहारिक नहीं रहेगा और भारतीय निर्यातकों को इस कमी की भरपाई करने का मौका मिलेगा। चीन का अमेरिका को स्वर्णाभूषण निर्यात करीब दो अरब डॉलर प्रति वर्ष रहता है।

न्यूयॉर्क में हीरे के स्वतंत्र विश्लेषक और सलाहकार पॉल जिम्मिस्की ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'अमेरिका चीन से एक प्रतिशत से भी कम तराशे हुए हीरों का आयात करता है लेकिन अमेरिका चीन से अनुमानित रूप से आभूषणों का 15 प्रतिशत आयात कर रहा है। अगर शुल्क जारी रहता है तो इससे अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं द्वारा भारत से और ज्यादा नकली आभूषण खरीदने के आसार हैं।' मुसीबत में फंसे भारतीय आभूषण निर्यातकों के लिए यह एक अच्छी खबर हो सकती है जो पिछले कुछ महीनों से रत्नाभूषण निर्यात में गिरावट का सामना कर रहे हैं। भारत का कुल रत्नाभूषण निर्यात लगभग 40 अरब डॉलर का है लेकिन अमेरिका को किया जाने वाला इसका स्वर्णाभूषण निर्यात तकरीबन चीन के बराबर है। 2018-19 में अमेरिका को भारत का कुल स्वर्णाभूषण निर्यात 1.9 अरब डॉलर रहा जो पिछले वर्ष के 2.3 अरब की तुलना में 16.4 प्रतिशत कम था। चीन से भी वित्त वर्ष 19 के दौरान अमेरिका को दो अरब डॉलर का स्वर्णाभूषण निर्यात करने का अनुमान है।

भारत से अमेरिका को स्वर्णाभूषण निर्यात

वित्त वर्ष 18	230.8 करोड़ डॉलर
वित्त वर्ष 19	192.9 करोड़ डॉलर
अंतर	- 16.4 %
वित्त वर्ष 19 की पहली तिमाही	42.5 करोड़ डॉलर
वित्त वर्ष 20 की पहली तिमाही	41.9 करोड़ डॉलर
अंतर	-1.5 %

स्रोत : डीजीसीआईएस, संकलन : बीएस ब्यूरो

वित्त वर्ष 20 की पहली तिमाही में अमेरिका को भारत का कुल स्वर्णाभूषण निर्यात 41.9 करोड़ डॉलर जो 1.5 प्रतिशत कम रहा। अब अमेरिका ने नए शुल्क की घोषणा की है जो 1 सितंबर से लागू होगा। इस मामले में चीन को बचाव करने करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। अगर अमेरिका मान जाता है तो शायद वह यह शुल्क लागू न करे या स्थगित कर दे। हालांकि अगर शुल्क लागू किया जाता है तो भारत को अपना खोया हुआ कुछ बाजार वापस मिल जाएगा। इस साल पहले ही रत्नाभूषण निर्यात में तीव्र गिरावट का डर है। उद्योग के प्रमुखों का कहना है कि इस साल उन्हें इस क्षेत्र के निर्यात में करीब 10 प्रतिशत गिरावट की आशंका है। वैश्विक बाजार को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है और लग्जरी वस्तुओं की खरीद का वरीयता स्थान अंतिम हो गया है।

रत्नाभूषण निर्यात में फिर ऋण गारंटी बीमा लाभ!

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 4 अगस्त

सरकार रत्न और आभूषण क्षेत्र में तरलता की कमी में राहत के लिए एक महीने के भीतर दोबारा निर्यात ऋण गारंटी (ईसीजी) बीमा योजना लाने की तैयारी कर रही है। बैंकिंग शिखर सम्मेलन-2019 से इतर भारतीय स्टेट बैंक के डिप्टी प्रबंध निदेशक पीएन प्रसाद ने कहा कि ईसीजी बीमा की एक महीने में फिर से शुरुआत की जाएगी। ईसीजी बीमा ऋणदाताओं को भारतीय निर्यातकों या विदेशी आयातकों द्वारा की गई भुगतान चूक के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। फिलहाल बैंक माल की खेप भेजने से पहले और बाद में - दोनों के लिए ही वित्त उपलब्ध कराते हैं। इन्हें भी निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ईसीजीसी ऋणदाताओं को देनदारों से पैसा वसूली की गारंटी देगा।

पिछले साल दो अरब डॉलर का पंजाब नैशनल बैंक घोटाला सामने आने के बाद से पूरे रत्न और आभूषण क्षेत्र को तरलता की भारी कमी का सामना करना पड़ा है क्योंकि बैंकों ने इस क्षेत्र को नकारात्मक सूची में डाल दिया था। ऋणों के नए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा रहा है और मौजूदा ग्राहकों के लिए प्रावधान और ऋण अदायगी में बड़े पैमाने पर कटौती की गई है। वैश्विक आर्थिक मंदी ने भी संपूर्ण अवधारणा को कम कर दिया है जिससे अप्रैल-जून की अवधि में इस क्षेत्र के निर्यात में 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। प्रसाद ने कहा कि ईसीजीसी से रत्न और आभूषण क्षेत्र को ऋण की कमी में मदद मिलेगी।

निर्यात खेपों की एवेज के भुगतान में जानबूझकर चूक के मामलों की वजह से सरकार ने छह साल पहले रत्न और आभूषण क्षेत्र को ईसीजीसी का लाभ देना बंद कर दिया था। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन (आईबीए) के मुख्य कार्यकारी वीजी कन्नन ने कहा कि ईसीजीसी की सफलता के लिए दावों की संख्या में कमी आनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में दावों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसलिए ईसीजीसी की सफलता चिंता का विषय है।

जानकार सूत्रों ने कहा कि सरकार ने संपूर्ण निर्यात-प्रधान क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हालांकि विशेषज्ञों ने इस लाभ योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र को सुरक्षा देने के लिए ईसीजीसी दावे की 100 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा रखने का सुझाव दिया है। अलबत्ता रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल को लगता है कि डॉलर के रूप में वित्तीय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है जो पिछले कुछ वर्षों में रुपये के अवमूल्यन के कारण कम हो गई है। अग्रवाल ने कहा कि इस दशक में रुपया (डॉलर के मुकाबले) 75 प्रतिशत कमजोर होकर फिलहाल 70 रुपये पर चल रहा है। वर्तमान में भारत का कुल रत्न और आभूषण निर्यात का मूल्य लगभग 33 अरब डॉलर है।

Valuation
● ASSETS ● BRANDS
● BUSINESSES
● SWEAT EQUITY
ANMOL SEKHRI CONSULTANTS P. LTD
e-mail: corpassistance@yahoo.co.in
website: www.valuationsekhri.com

कमजोर मांग से जूझ रहीं इस्पात कंपनियां

ईशिता आयान दत्त
कोलकाता, 4 अगस्त

इस्पात कंपनियों के पास सभी क्षेत्रों से मांग कमजोर आ रही है, जिससे उन्हें अपना भंडारित माल निर्यात करना पड़ रहा है। कम से कम दो दर्जन इस्पात कंपनियों ने कहा कि इस समय कंपनियों के पास 45 दिनों की मांग जितना स्टॉक है, जबकि आम तौर पर उद्योग में करीब 15 दिन का स्टॉक होता है।

इस्पात उत्पादन करने वाली ज्यादातर कंपनियों ने कहा कि वे अपने स्टॉक को कम करने के लिए ज्यादा निर्यात कर रही हैं। इसके अलावा वे मरम्मत के लिए फैक्टरियों को भी जल्द बंद करने की योजना बना रही हैं। कोल्ड रोल्ड इस्पात के कुछ उत्पादकों ने पिछले कुछ महीनों से उत्पादन करीब 50 फीसदी घटा दिया है। इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयंत राय ने कहा कि जेपीसी के आंकड़े दर्शाते हैं कि अप्रैल, 2019 के अंत में कुल तैयार इस्पात का स्टॉक 99.3 लाख टन था, जो पिछले वर्ष 74.9 लाख टन था। यह मई, 2019 के अंत में 101 लाख टन था, जबकि मई, 2018 के अंत में 74 लाख टन था। उत्पादकों के मुताबिक सभी क्षेत्रों में मांग कम हुई है। वाहन बिक्री करीब चार तिमाहियों से घट रही है। इस खंड और अर्थव्यवस्था के एक अहम संकेतक- यात्री कार बिक्री में लगातार गिरावट आ रही है।

इसमें जून में भी 4.6 फीसदी गिरावट आई है।

टिकाऊ उपभोक्ता सामान की बिक्री भी कमजोर बनी हुई है। एक इस्पात उत्पादक ने कहा, 'लोग अपना मनमाना खर्च घटा रहे हैं।' निर्माण क्षेत्र में भी मॉनसून सीजन में सुस्ती रहती है। यह देखना होगा कि क्या मॉनसून सीजन के बाद निर्माण गतिविधियों में तेजी आती है। उद्योग के सूत्रों के मुताबिक इस्पात की मांग वाहन क्षेत्र में 20 फीसदी, निर्माण उपकरणों में 40 फीसदी और निर्माण में 25 फीसदी घट गई है।

एक प्रमुख उत्पादक ने कहा कि जहाज बनाने के लिए इस्पात की मांग पांच साल के सबसे निचले स्तर पर है। वहीं सामान्य इंजीनियरिंग में मांग तीन साल में सबसे कम है। कमजोर मांग का फ्लैट और लॉन्ग इस्पात की कीमतों पर असर पड़ रहा है। हॉट रोल्ड कोइल (एचआरसी) के दाम मई में 40,250 रुपये प्रति टन थे, जो अब घटकर 38,000 रुपये प्रति टन पर आ गए हैं। टीएमटी बार की कीमतों ने भी गहरा गोता लगाया है। ये मई के आखिर में 35,000 रुपये प्रति टन थीं, जो अब 30,000 रुपये प्रति टन पर आ गई हैं।

एक उत्पादक ने कहा कि कम कीमतों पर भी बहुत अधिक खरीदार नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा, 'अगले महीने कीमतें घटाने से भी कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मांग ही नहीं आ रही है।' इस्पात कंपनियां कीमतों पर हर महीने फैसला लेती हैं। हालांकि इस्पात के दाम दुनियाभर में घटे हैं, लेकिन भारत में गिरावट ज्यादा तेज है। राय ने कहा कि चीन में हॉट रोल्ड क्वॉइल (एचआरसी) के दाम पिछले तीन महीनों के दौरान 20 से 25 डॉलर प्रति टन कम हुए हैं, जबकि भारत में एचआरसी की कीमतें इस अवधि में करीब 35 डॉलर प्रति टन गिरी हैं। इस मंदी के बीच उत्पादक एफटीए देशों से बढ़ते आयात को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

वेदांत करेगी 50 फीसदी ज्यादा निर्यात

जयजित दास
भुवनेश्वर, 4 अगस्त

- **वित्त वर्ष 19 में भारत का एल्युमीनियम आयात रहा 23 लाख टन**

वित्त वर्ष 19 के आखिर में भारत की एल्युमीनिय खपत में आयात का योगदान 58 प्रतिशत रहने से वेदांत का लक्ष्य एल्युमीनियम निर्यात बढ़ाना है। भारत की इस शीर्ष एल्युमीनियम निर्माता का लक्ष्य इस वित्त वर्ष अपने उत्पादन की आधी से अधिक मात्रा अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचना है। पिछले वित्त वर्ष के आखिर में वेदांत ने गत वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत वृद्धि के साथ 19.6 लाख टन उत्पादन करते हुए सबसे बड़े एल्युमीनियम निर्माता के रूप में हिंडालको को पछाड़ दिया।

घरेलू एल्युमीनियम निर्माताओं को आयात के कारण अपनी बाजार हिस्सेदारी में लगातार गिरावट नजर आई है, खास तौर उन दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के आयात से जिनका भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है। वित्त वर्ष 19 में भारत का एल्युमीनियम आयात 23 लाख टन के स्तर पर पहुंच गया था जिसके परिणामस्वरूप 5.5 अरब डॉलर या मूल्य के हिसाब से कुल आयात की एक प्रतिशत विदेशी मुद्रा देश से बाहर गई।

वेदांत लिमिटेड के मुख्य कार्याधिकारी (एल्युमीनियम और बिजली) अजय कपूर ने कहा कि पिछले कुछेक वर्षों में एल्युमीनियम कबाड़ आयात में इजाफा हुआ है। उद्योग के रूप में हम भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं। घरेलू प्राथमिक उद्योग को इस बढ़ते कबाड़ आयात से बचाने के लिए सरकार से मदद की जरूरत है। देश में अधिकतम बिक्री करने के लिए हमारा ध्यान लगातार घरेलू बाजार पर केंद्रित है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में वेदांत के स्मेल्टरों में सालाना 23 लाख टन क्षमता दर्ज है। घरेलू एल्युमीनियम निर्माताओं के बीच कंपनी की 37 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है। वेदांत की 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी की बिक्री का केवल 30 प्रतिशत भाग ही घरेलू बाजार में है जो पिछले वर्षों की तुलना में कम है। आयात में वृद्धि की वजह से ऐसा हुआ है।

इस वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वेदांत ने 2018 में जापान और दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी बिक्री बढ़ाई है। एशियाई, यूरोपीय तथा उत्तरी और दक्षिण अमेरिकी बाजारों में प्रमुख स्थापित ग्राहक आधार की अंतरराष्ट्रीय बिक्री भी बढ़ी जो इस वर्ष 30 प्रतिशत तक बढ़कर 13 लाख टन हो गई है।

कपूर ने कहा कि वेदांत के एल्युमीनियम उत्पादों का ज्यादातर निर्यात आसान गंतव्यों को किया जाता है। यूरोप और अमेरिका में विशिष्ट मूल्य वर्धित उत्पादों की बिक्री के अलावा हमारा ध्यान इन क्षेत्रों पर रहेगा। हमें नहीं लगता कि रसल से संबंधित घटनाक्रम का इन भौगोलिक क्षेत्रों में हमारे निर्यात पर कोई खास असर पड़ेगा।

जेट एयरवेज (इण्डिया) लिमिटेड
(निगमित दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के अधीन)
अभिरुचि की अभिव्यक्ति जमा करने की समय-सीमा में विस्तार

जेट एयरवेज (इण्डिया) लिमिटेड (जेट एयरवेज) के मामले में प्रस्ताव योजनाएं जमा करने के लिए प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रण सूचना आईबीसी, 2016 की धारा 25(2)(एच) के प्रावधानों के मद्देनजर 20 जुलाई, 2019 को इकोनोमिक टाइम्स के सभी संस्करणों तथा अन्य क्षेत्रीय समाचारपत्रों में प्रकाशित की गई थी। जेट एयरवेज के मामले में प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों से ईओआई स्वीकार करने की अंतिम तारीख 10 अगस्त, 2019 को अपराह्न 4.00 बजे भामास तक विस्तारित कर दी गई है। दिनांक 20 जुलाई, 2019 की सूचना के शेष नियम एवं शर्तें तथा अद्यतन प्रपत्र जी के साथ अद्यतन ईओआई प्रक्रिया दस्तावेज जेट एयरवेज की वेबसाइट [https://www.jetairways.com/insolvencyproceedings/] पर अपलोड कर दिया गया है तथा आईबीबीआई की वेबसाइट [https://ibbi.gov.in/resolution-plans] पर भी प्रकाशित किया जाएगा। किसी भी तरह के स्पष्टीकरण अथवा और अधिक जानकारी के लिए कृपया ईमेल आईडी fly.jetairways@in.gt.com पर लिखें।

हस्ताक्षर
आशीष छवछरिया, प्रस्ताव पेशेवर
(IBBI/IPA-001/IP-P00294/2017-18/10538)
पंजीकृत पता तथा ईमेल आईडी के साथ आईबीबीआई :
ग्रांट थोर्नटन 10सी हंगरफोर्ड स्ट्रीट, कोलकाता-700017
तारीख : 05 अगस्त, 2019 ईमेल : **ashish.chhawchharia@in.gt.com**
स्थान : मुम्बई कृते जेट एयरवेज (इण्डिया) लिमिटेड

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
एक नवरत्न कंपनी (भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Navratna Undertaking)
कॉनकॉर CONCOR
Regd. Office & Investors Relation Centre: CONCOR Bhawan, C-3, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi – 110076.
CIN : L63011DL1988GOI030915, e-mail : investorrelations@concorindia.com, Tel. Nos. : 41673093-96, Fax : 41673188, website : http://www.concorindia.com

31वीं वार्षिक आम बैठक, दूरस्थ ई–वोटिंग सूचना और बही बंदी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1) कम्पनी के सदस्यों की एकतीसवीं (31वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 27.08.2019 को अप. 4.00 बजे ऑडिटोरियम, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 में आयोजित की जाएगी जिसमें कथित बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का निष्पादन किया जाएगा।

2) सदस्यों को 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए व्याख्यात्मक विवरण और वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31वीं एजीएम की सूचना 26.07.2019 को पहले ही उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भेज दी गई है जिनके ई–मेल आईडी कम्पनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत हैं और उन सदस्यों को भौतिक प्रारूप में उनके पंजीकृत डाक पते पर भेजी गई है जिनके ई–मेल आईडी न तो कम्पनी के पास पंजीकृत हैं और न ही डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास दर्ज हैं। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट **www.concorindia.com** और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट **(www.nseindia.com** एवं **www.bseindia.com)** पर भी उपलब्ध है। सदस्यगण जिन्हें यह दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए है, वे इसे कम्पनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या इसकी एक प्रति के लिए उपरोक्त वर्णित पते पर कम्पनी को लिख सकते हैं।

3) कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी अपने सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से रिमोट लोकेशन (''रिमोट ई–वोटिंग'') के द्वारा एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की सुविधा प्रदान कर रही है। एजीएम की सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट **https://www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है। एजीएम में कामकाज का निष्पादन एनएसडीएल की ई–वोटिंग सर्विस के माध्यम से भी किया जा सकता है और भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

i. 31वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से वोटिंग द्वारा किया जा सकता है;
ii. रिमोट ई–वोटिंग शुक्रवार, 23.08.2019 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी;
iii. रिमोट ई–वोटिंग सोमवार, 26.08.2019 को सायं 5.00 बजे बंद होगी;
iv. रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में वोटिंग के लिए योग्यता के निर्धारण हेतु कट–ऑफ तिथि मंगलवार, 20.08.2019 है। कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिग्रहित करता है और सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात् 20.08.2019 को शेयर धारण करता है, वह **evoting@nsdl.co.in** या **concor@beetalfinancial.com** पर अनुरोध भेजकर अपना लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो वह वोट देने के लिए अपना वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
v. योग्य सदस्यगण वोट देने के लिए कृपया नोट करें कि:
(क) एनएसडीएल द्वारा 26.08.2019 को सायं 5.00 बजे के बाद रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा और सदस्य द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट देने के बाद उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी;
(ख) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम या बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी;
(ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और
(घ) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा प्रस्तुत किये गये लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज होगा, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में वोटिंग की सुविधा पाने का हकदार होगा।
vi. किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण **www.evoting.nsdl.com** पर हेल्प सैक्शन के अंतर्गत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (''एफएक्यू'') और ई–वोटिंग मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्री (सहायक प्रबंधक), एनएसडीएल, चौथा तल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013, ई–मेलः **evoting@nsdl.co.in,** फोनः 1800 222 990 / 91 22 24994200 / 91 22 24994545 से सम्पर्क कर सकते हैं।

4) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित उसके अधीन बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए अंकित मूल्य रु. 5/– प्रत्येक के रु. 8.55 प्रति इक्विटी शेयर अंतिम लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण हेतु कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 21.08.2019 से 27.08.2019 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे। अंतिम लाभांश 25.09.2019 को या उससे पूर्व उन सदस्यों को भुगतान/भेजा जाएगा:
(i) सदस्यगण जिनके नाम 20.08.2019 को या उससे पूर्व कम्पनी और इसके रजिस्ट्रार के पास दर्ज भौतिक प्रारूप में सभी वैध शेयर अंतरण के प्रभाव के बाद कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में शामिल हैं।
(ii) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में धारित शेयरों के मामले में, वे सदस्यगण जिनके नाम 20.08.2019 को व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्वामियों के विवरण में शामिल हैं।

संवीक्षक: कम्पनी ने रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए श्री राकेश कुमार, मैसर्स आर के एसोसिएट्स, पेशेवर कम्पनी सचिव को संवीक्षक और उनकी अनुपस्थिति में सुश्री प्रज्ञा परीमिता प्रधान, मैसर्स प्रज्ञा प्रधान एंड एसोसिट्स, पेशेवर कम्पनी सचिव को संवीक्षक नियुक्त किया है।

परिणाम: प्रस्तावों पर परिणाम कम्पनी की एजीएम समाप्त होने के बाद अड़तालीस घंटे के भीतर घोषित कर दिया जाएगा। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित किया गया परिणाम कम्पनी की वेबसाइट **(www.concorindia.com)** और एनएसडीएल की वेबसाइट **(www.evoting.nsdl.com)** पर प्रकाशित किया जाएगा और इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को भी दी जाएगी।

कृते भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड,
हस्ता./–
(हरीश चन्द्रा)
ईडी (वित्त) एवं कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 04.08.2019

Triveni TURBINES

Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2019

(₹ in lakhs, except per share data)

Particulars	3 Months ended		Year Ended
	30-Jun-2019 (Unaudited)	30-Jun-2018 (Unaudited)	31-Mar-2019 (Audited)
Total Income from Operations	21,363	17,176	83,999
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	4,442	2,883	14,938
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	4,442	2,883	14,938
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	3,070	1,901	10,023
Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,930	1,685	10,442
Equity Share Capital	3,233	3,300	3,233
Other Equity			40,106
Earnings per share of ₹ 1/- each (not annualised)			
(a) Basic (in ₹)	0.95	0.58	3.05
(b) Diluted (in ₹)	0.95	0.58	3.05

Notes :

1. Summarised Standalone Unaudited Financial Performance of the Company is as under:

Particulars	3 Months ended		Year Ended
	30-Jun-2019 (Unaudited)	30-Jun-2018 (Unaudited)	31-Mar-2019 (Audited)
Total Income from Operations	21,166	16,968	82,879
Profit/(Loss) before tax	3,871	2,745	13,570
Profit/(Loss) after tax	2,518	1,784	8,755
Total Comprehensive Income	2,407	1,573	9,195

2. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended June 30, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter ended June 30, 2019 are available on the Stock Exchange's websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.triveniturbines.com).

For TRIVENI TURBINE LIMITED
Sd/-
Dhruv M. Sawhney
Chairman & Managing Director

Place: Noida (U.P)
Date: August 03, 2019

Regd. Office: A-44, Hosiery Complex, Phase II Extension, Noida, U.P. - 201 305
Corp. Office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida - 201 301, U.P., India
Website : www.triveniturbines.com, CIN : L29110UP1995PLC041834